BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

डा० सुरेन्द्र नाथ सिन्हा
कुलपति
Dr. (Prof.) Surendra Nath Sinha
Vice Chancellor

MITHAPUR, PATNA-800 001 (BIHAR)
Tel-0612-2356912, 2356913,
Email-vcbuhspatna@gmail.com

(University Established by Bihar Act 19 of 2021)

संख्या 548 दिनांक 23/08/2023

अतिआवश्यक

स्वास्थ्य विज्ञान प्रक्षेत्र से सम्बन्धित
बिहार राज्य के सभी संस्थानों के प्राचार्य/डीन/निदेशक,

विषयः संस्थानों को रैगिंग मुक्त परिसर बनाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

स्वास्थ्य विज्ञान प्रक्षेत्र से संबंधित बिहार राज्य के सभी संस्थानों में नये शैक्षणिक सत्र 2023–24 में छात्र–छात्राओं का नामांकन हो रहा है तथा संस्थान के प्राचार्य/डीन/निदेशक की यह जिम्मेवारी है कि नव–नामांकित छात्र–छात्राओं को रैगिंग मुक्त वातावरण प्रदान करना सुनिश्चित करें। इस हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में समय समय पर संबंधित शीर्ष नियामक निकायों (यथा–NMC, DCI, etc.) द्वारा भी दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं जिनका अक्षरशः अनुपालन करना संबंधित संस्थान के प्राचार्य/डीन/निदेशक की जबाबदेही है। रैगिंग मुक्त वातावरण बनाने हेतु संस्थान में निम्नलिखित व्यवस्था किया जाना आवश्यक हैः–

1. संस्थान में Anti Ragging Cell का गठन करना।
2. संस्थान में Anti Ragging Committee गठित करना।
3. संस्थान में Anti Ragging Squad गठित करना।
4. संस्थान में Anti Ragging Helpline गठित करना।
5. Anti Ragging Poster/Banner बनाकर संस्थान के मुख्य स्थानों में लगा कर प्रचार प्रसार करना।
6. Anti Ragging Committee के सदस्यों का ई–मेल एवं मोबाईल संख्या मुख्य स्थानों पर प्रदर्शित करना।
7. Anti Ragging की चेतावनी संस्थान के सूचना पुस्तिका, Prospectus, Brochures आदि में प्रकाशित करना।
8. नामांकन के समय छात्रों एवं उनके माता–पिता/अभिभावक से antiragging.in बेबसाईट के माध्यम से अंडरटेकिंग प्राप्त करना।

9. नव–नामांकित छात्रों को Ragging के सम्बन्ध में बताया जाय तथा नये छात्रों का ग्रुप बना कर सिनियर छात्रों को उसका Mentor बना कर रैगिंग रोकने की जिम्मेवारी सिनियर छात्रों को इस शर्त्त पर देना कि यदि छात्रों के साथ रैगिंग होती है तो इसकी सारी जावाबदेही Mentor की होगी।
10. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सं0–887/2009 में दिनांक 08.05.2009 पारित आदेश एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित "Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009" के आलोक में नवनामांकित छात्रों एवं सिनियर छात्रों के साथ बैठक कर Ragging के दुष्परिणाम एवं वैधानिक कार्रवाई के सम्बन्ध में जागरूक करना।
11. अन्य उपाय भी करें तथा रैगिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का अक्षरशः अनुपालन करें ताकि Ragging Free College Campus बनाया जा सके।

अतः अनुरोध है कि Ragging Free Campus बनाने के लिए सहयोग करें तथा अपने कैम्पस को Ragging Free बनायें एवं संस्थान में बनाये गये Anti Ragging Cell, Anti Ragging Committee, Anti Ragging Squad एवं Anti Ragging Helpline की सूचना बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को भी दी जाय।

(सुरेन्द्र नाथ सिन्हा)